

खि
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुकम की ता
में जारी हु

23-1-26

पञ्जावली पेश दुर्ग वार्दी आधीवमा उपस्थित
वार्दी आधीवमा को बखारा रिपोर्ट का अपरोक्ष
कराया गया। वार्दी आधीवमा द्वारा बखारा
रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गई।
मुताबिक बखारा काग्रेस नर तहलीलगा इन्द्रगढ़
के खसरा न. 4/1 रुका 1.240 ईमर खान.
7/1 रुका 0.2850 ईमर कित-2 योग रुका
1.5250 ईमर मुताबिक नम्बरा ड्रेथ में दर्शाये
अनुसार वार्दी ग्राम हीरापुर पटवार हल्का दोलतपुरा
तहलील इन्द्रगढ़ पारवार्दी 29.1 गोपीलाल साह
हीरालाल के हिस्से में बहोती।

इसी प्रकार ख.न. 4/2 रुका 1.2300 ईमर
ख.न. 7/2 रुका 0.2950 ईमर कित-2
योग रुका 1.5250 ईमर मुताबिक नम्बरा ड्रेथ
में दर्शाये अनुसार वार्दी ग्राम हीरापुर पटवार हल्का
दोलतपुरा तहलील इन्द्रगढ़ वार्दीया के हिस्से में
बहोती।

वार्दीया द्वारा 100% रुपये में न्यूशियल
स्थाय पेश किया। आर्निम डिक्ली जारी है
पञ्जावली डि.न. 23-1-26 को पेश हो।

29-1-26

पञ्जावली पेश दुर्ग वार्दीनी का धाड पत्र
आर्निम डिक्ली किया जाकर। नीतीत किया
गया। आर्निम डिक्ली ख.का. की गई पञ्जावली
पर अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से
केवल मुसार डेकड काड रुकमीन कारिपल
पट्टर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखरी (बुन्दी)

100/- नोन ज्यूडिशियल
एकम ४०००

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1. अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी... व इजलास श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर०ए०एस).....

सीताबाई पत्नि श्री पप्पूलाल जाति
मीणा निवासी शेरगंज तहसील
इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

-वादी

बनाम

1 गेन्दीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रूपपुरा
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत 53 आर०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर 122 / दावा / 2022.....

सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे..... व हाजिरी श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता मिनजानिब मुद्ई रुबरू..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि-

वादीनी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है मुताबिक बंटवारा कमिशनर तहसीलदार इन्द्रगढ़ की बटवारा रिपोर्ट के मुताबिक विवादित अराजी खसरा संख्या 4 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा संख्या 7 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 3.05 हैक्टर 0 ग्राम हीरापुर मे स्थित कृषि भूमि में से खसरा संख्या 4/1 रकबा 1.240 हैक्टर, खसरा संख्या 7/1 रकबा 0.28 है०, कुल किता 2 योग रकबा 1.525 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण 1 के हिस्से में एंव खसरा संख्या 4/2 रकबा 1.2300 है०, खसरा संख्या 7/2 रकबा 0.2950 है०, कुल किता 2 योग रकबा 1.5250 हैक्टर वादीनी सीताबाई के हिस्से में नक्शाट्रेस मे दर्शायीनुसार खाते में रहेगी। रहन होने की स्थिति मे रहन हिस्से अनुसार यथावत जमाबन्दी रहेगा।

निज..... मुबलिंग..... बाबत.....

खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 01 सन् 2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महनताना वकील		
4. महनताना वकील			4. खर्चा गवाहोंन		
5. खर्चा गवाहोंन			5. फीस कमिशनर		
6. फीस कमिशनर			6. बाबत इजराय हुवमनामा		
7. बाबत इजराय हुवमनामा			7. मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फारिकेन का चाहे डिक्री के जारीसे दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

बउनवान

2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सा0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

2
उपखण्ड अधिकारी
भाखेरी (बून्दी)